





न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

शस्त्र वाद सं०-106 /2014

सरकार (मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा)

बनाम

मो० सलाउद्दीन खॉ, पे०-स्व० नसरुद्दीन खॉ, सा०+पो०+थाना-विक्रमगंज, जिला-रोहतास

| आदेश का क्रम-संख्या और तारीख। | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर। | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित |
|-------------------------------|---|---|
| 09.12.2014 | <p>यह अभिलेख जिला शस्त्र शाखा, सारण, छपरा के पत्रांक 430, दिनांक 15.07.2014 के द्वारा सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया है।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, रोहतास के पत्रांक 121शस्त्र/ दिनांक 24.02.2014 के द्वारा आवेदक मो०सलाउद्दीन खॉ, पे०-स्व० नसरुद्दीन खॉ, सा०+पो०+थाना-विक्रमगंज, जिला-रोहतास से संबंधित कागजात को संलग्न कर पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2364/गो०, दिनांक 09.06.2014 के द्वारा प्रेषित किया गया है।</p> <p>आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गई। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे वर्तमान में सारण जिला बल में सिपाही के पद पर कार्यरत है। अपने जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।</p> <p>पुलिस प्रतिवेदन के परिसीलन से प्रतीत होता है कि आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया है और न ही आवेदक के द्वारा सुनवाई के क्रम में कोई ठोस आधार ही प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को निर्देश है कि वे पुलिस अधीक्षक, सारण से पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग करें एवं वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सुनवाई हेतु इस न्यायालय को अभिलेख प्रेषित किया जाए।</p> <p>लेखापित एवं सशोधित</p> <p> जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।</p> <p> जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।</p> <p>ज्ञापंक 1047 दिनांक 12/12/14</p> <p>प्रतिलिपि - S.P. साप / जिला शस्त्र इकाई, साप / DSO, NDC, साप की सूचना एवं आवश्यक कक्षाओं के लिए</p> <p> वर्तमान में सुनवाई</p> <p> जिला दण्डाधिकारी, (साप) 12/12/14</p> | |